



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/028

दिनांक: 13.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: विक्रय राशि की कम प्राप्ति की स्थिति में RoDTEP और RoSCTL योजनाओं के तहत छूट/रियायत पर स्पष्टीकरण

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 20/2026-सीमा शुल्क

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपर्युक्त परिपत्र जारी किया गया है जो बोर्ड परिपत्र संख्या 64/2003-Cus दिनांक 21.07.2003 और 33/2019-Customs दिनांक 19.09.2019 का संदर्भ देता है, जिसमें विक्रय आय की कम प्राप्ति के मामले में RoDTEP और RoSCTL योजनाओं के तहत छूट/रियायत पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

सदस्यों के लिए मुख्य बिंदु:

1. RoDTEP और RoSCTL के तहत मिलने वाले लाभ एजेंसी कमीशन और विदेशी बैंक शुल्क की कटौती किए बिना पूर्ण FOB मूल्य पर दिए जाते हैं।
2. कटौती केवल तभी अनुमत है जब एजेंसी कमीशन और बैंक शुल्क एफओबी मूल्य के 12.5% से अधिक हो।
3. यदि कटौतियाँ इस सीमा से अधिक हो जाती हैं, तो लाभ की गणना के लिए अतिरिक्त राशि को एफओबी मूल्य से घटा दिया जाता है।
4. इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी से अवैतनिक निर्यात के लिए प्राप्त मुआवजा बिक्री आय की वैध प्राप्ति माना जाता है। इन लाभों को बनाए रखने के लिए, आरबीआई द्वारा बकाया भुगतान को माफ करने की मंजूरी आवश्यक है। निर्यातकों को संबंधित भारतीय विदेश दूतावास से धन की वसूली न होने की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

कृपया विस्तृत परिपत्र के लिए यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604130234_47.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल